सरल क्रमांक.....

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

880] सिविल-लाईन्स, मुख्यालय-रायपुर (छ०ग०)
दूरभाष नंबर : **0771&2445611** फैक्स नंबर : **0771&2424017**

निविदा दस्तावेज

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रों में सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन नियुक्ति हेतु निविदा

निविदा फार्म विक्रय करने का दिनांक एवं समय	दिनांक 21/11/2012 कार्यालयीन समय तक
निविदा स्वीकार करने का अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 22/11/2012 दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोलने का दिनांक एवं समय	दिनांक 22/11/2012 अपरान्ह 3.00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	जिला विपणन अधिकारी छ.ग. राज्य सह.विप. संघ मर्या. जिला .....

निविदा फार्म का मूल्य
2000/– रूपये (वाणिज्य कर सहित)

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय रायपुर
खरीफ विपणन वर्ष 2012–13
सुरक्षागार्ड / गनमैन प्रदाय हेतु निविदा

फार्म कमांक.....

1.	निविदाकर्ता का नाम– श्री / सुश्री	.....
2.	निविदाकर्ता के पिता / पति का नाम–	.....
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता तथा मो.नं.	....
4.	जिले के धान भंडारण केन्द्र / ईकाई का नाम जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है –	जिला .....
5.	निविदा फार्म का मूल्य–	2000.00 रूपये (वाणिज्य कर सहित) (रूपये दो हजार मात्र)
7.	निविदा फार्म क्रय / डाउनलोड का विवरण	मनी रसीद नम्बर / ..... दिनांक .....राशि ..... जिला विपणन कार्यालय का नाम .....
8.	निविदा फार्म विक्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक – 21 / 11 / 2012 कार्यालयीन समय तक
9.	निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक एवं समय–	दिनांक – 22 / 11 / 2012 समय – दोपहर 2.00 बजे तक
10.	निविदा को खोले जाने की तिथि, समय एवं स्थान–	दिनांक – 22 / 11 / 2012 समय – अपरान्ह् 3.00 बजे स्थान – जिला विपणन अधिकारी कार्यालय

टिप्पणी :– जिला – .....

1. यह निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जा रहा है। प्रथम प्रति निविदाकार टेंडर बाक्स में डालेगा एवं द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु रखा जावेगा।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ कमांक 1 से 13 तक है।
4. निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट **www.cgmarkfed.in** पर निविदाकर्ता के अध्ययन हेतु गाईड लाईन के रूप में उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र बेवसाईट के माध्यम से डाउन लोड कर नहीं भरे जावेंगे, सिर्फ जिला विपणन कार्यालय से कय निविदा दस्तावेज में ही निविदा भरकर प्रस्तुत की जावें।

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक.....

निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

उद्‌बोधन

प्रिय निविदाकार,

छ.ग. राज्य में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में कृषकों से धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में उपार्जित धान का भंडारण जिलें में निर्धारित संग्रहण केन्द्रों में किया जाता है। विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों/इकाईयों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन की आवश्यकता हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1. इस निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार परिशिष्ठ संलग्न हैः :–
   - (I) परिशिष्ट '1' निविदा निर्देश एवं शर्ते तथा मार्गदर्शक सूचनायें।
   - (II) परिशिष्ट '2' निविदा फार्म (भाग –क) तकनीकी लिफाफा हेतु।
   - (III) परिशिष्ट '3' दर प्रसतुत करने हेतु निविदा फार्म (भाग –ख) वित्तीय लिफाफा हेतु।
   - (IV) परिशिष्ट '4' संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप।
   - (V) परिशिष्ट '5' जिलेवार कार्यशील धान संग्रहण केन्द्रों की सूची।

निविदाकार से अनुरोध है, कि इन दस्तावेजो को भली–भांति पढने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें सुरक्षाकर्मियों की पूर्ति हेतु निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट 3 में साफ–साफ अंको एवं शब्दों में अंकित कर वित्तीय लिफाफा में प्रस्तुत करें।

2. निविदाकार से यह भी अनुरोध है कि निविदा फार्म के नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म संबंधित संग्रहण केन्द्र के जिला कार्यालय में निर्धारित तारीख को निर्धारित समय तक स्वीकार किये जायेगे। प्राप्त निविदाये उसी दिन निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकार के समक्ष निविदा कमेटी द्वारा खोली जायेगी। निविदायें खोलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो सकेगा। किसी भी दशा में डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. इस उद्‌बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश एवं शर्ते तथा मार्गदर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्ते, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट निविदा प्रपत्र संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्व रहने के लिए बाध्य होगा।
4. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर वाले निविदाकार से प्राप्त निविदा दरों पर निगोशियेशन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नही होती है तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता हैं।
5. निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट–1 के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त दस्तावेज संलग्न नही होने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
6. निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न :– निविदाकार को निविदा फार्म भाग 'क' में अपना परिचय एवं संक्षिप्त विवरण का पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है।
7. कृपया इसका विशेष ध्यान रखे। प्रत्येक विवरण अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जाना है।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर विपणन संघ के वृहद् जनउपयोगी और व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरे) प्रस्तुत करे।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
रायपुर

निविदा निर्देश एवं शर्ते तथा मार्गदर्शक सूचनाएं

1. छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ जिलो के संग्रहण केंद्रों/इकाईयों हेतु सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता हेतु 01 वर्ष की अवधि के लियें निविदा आमंत्रित की जा रही है। आवश्यकतानुसार अवधि घटाई/बढ़ाई जा सकती है ।
2. विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों/ईकाईयों में आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षा गार्ड/गनमैन की अनुमानित आवश्यकता होगी । सुरक्षा गार्ड/गनमैन की डयूटी पालियों (Shift) में होगी ।
3. जिलें के कार्यशील संग्रहण केन्द्रों की सूची परिशिष्ट '5' संलग्न है।
4. निविदाकर्ता को निविदा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तिय लिफाफा बंद कर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट रूप से तकनीकी प्रपत्र लिफाफा एवं वित्तिय प्रपत्र लिफाफा लेख करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिना लिखे लिफाफा खोले नहीं जावेंगे एवं निविदा अस्वीकृत होगी। उक्त दोनों लिफाफा एक बड़े लिफाफें में बन्द कर सील कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. सुरक्षागार्ड एवं गनमैन को आवश्यकतानुसार विपणन संघ की किसी भी इकाई में कार्य भारित किया जा सकता है
6. छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ के पास यह अधिकार होगा कि, निविदा की समान निविदा निर्देशों एवं शर्तो के अधिन अनुबंध की अवधि आपसी सहमति के आधार पर अतिरिक्त एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता हैं।
7. निविदाकार एजेन्सी के पास सुरक्षागार्ड/गनमैन प्रदाय के संबंध में विगत तीन वर्षो का संतोषजनक एंव सफलतापूर्वक कार्यनिष्पादन का अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदाकर्ता का पंजीयन छ.ग. राज्य के किसी सभी जिलें में होना अनिवार्य है। पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
9. निविदाकर्ता को श्रम विभाग, सेवा कर विभाग, भविष्यनिधि, ई.एस.आई. , ई.पी.एफ. इत्यादि तथा अन्य अनुसांगिक विभागों/संस्थाओं से वैध अनुज्ञप्ति/पंजीकृत होना आवश्यक होगा । निविदाकर्ता के पास वर्कमेन कमपनशेसन पॉलिसी होना अनिवार्य होगा।
10. निविदाकर्ता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र/इकाई के लिए 50,000/– (पचास हजार रूपये) का बैक साल्वेन्सी पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. सुरक्षा कार्य हेतु नियोजित कर्मियों का नियमानुसार न्यूनतम पारिश्रामिक तथा अन्य वैधानिक देयता जैसेः– भविष्यनिधि, ई.एस.आई, ग्रैच्युटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सर्विस टैक्स, का भुगतान इत्यादि के लिए निविदाकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।
12. निविदाकर्ता को जिले के समस्त संग्रहण केन्द्रों/ईकाईयों के लिए दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, किसी भी जिले के लिए आशिंक संग्रहण केन्द्रों/ईकाईयों के लिए प्रस्तुत निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
13. निविदाकर्ता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र/ईकाई के लिए रूपये 5,000/–(रूपये पांच हजार मात्र) के मान से पृथक–पृथक अमानत राशि का किसी अनुसूचित बैक का डिमांड ड्राप्ट जो छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के नाम से देय हो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14. निविदाकर्ता द्वारा कार्यभारित सुरक्षागार्डों/गनमैन के लिए विपणन संघ द्वारा जारी समस्त दिशनिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। निविदाकर्ता का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अनुबंध के कंडिकाओं का उल्लंघन होगा।

15. निविदाकर्ता विपणन संघ की संपत्ति की सुरक्षा के लिए पूर्णरूपेण जवाबदार होगा एवं विपणन संघ की संपत्ति में अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हुई क्षति की भरपाई के लिए निविदाकर्ता जवाबदार होगा। निविदाकर्ता द्वारा कार्यभारित सुरक्षा गार्डो के किसी भी क्रियाकलाप अथवा लापरवाही से हुई क्षति की भरपाई करने के लिए बाध्य होगा, अन्यथा निविदाकर्ता की अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी एंव निविदाकर्ता को विपणन संघ में कार्य न करने के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा।

16. उपरोक्त समस्त कंडिकायें अनुबंध की भाग होगीं।

भाग – ''क''

परिशिष्ट 2

(तकनीकी लिफाफा हेतु)

निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

जारीकर्ता कार्यालय.....

जारी दिनांक .....

सरल कमांक.....

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी,

.....छ.ग.

महोदय,

1. मेरे द्वारा/हमारे द्वारा सुरक्षा गार्ड/गनमेन की निविदा प्रस्तुत की जा रही है, मेरा/हमारा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1.	निविदाकर्ता का नाम – श्री /सुश्री	.....
2.	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम–	.....
3.	निविदकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम	.....
	एवं पता तथा मो.नं.	.....
4.	व्यवसय का पेन नं.	.....
	(विगत दो वर्षो की आयकर विवरणी	.....
	की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)	
5.	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नं.	.....
6.	लेबर लाइसेन्स नं. एवं वैधता तिथि	.....
7.	भविष्य निधि, लायसेंस नं. एवं कोड नं.	.....
	(विगत तीन वर्ष की भविष्यनिधि जमा की	
	सत्यापित प्रति संलग्न करें।)	
8.	ई.एस.आई. लायसेंस नं. एवं कोड नं.	.....
9.	सुरक्षा ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का छ.ग. राज्य	.....
	का पंजीयन कमांक एवं दिनांक	.....
	(प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
10	भागीदार फर्म होने की स्थिति में रजिस्ट्रार फर्म	.....
	एवं सोसायटी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की	.....
	सत्यापित प्रति संलग्न करें	.....
	भागीदार विलेख की सत्यापित प्रति संलग्न करें	
11.	अमानत राशि का विवरण	1. ड्राफ्ट कं.....
		2. दिनांक .....
		3. बैंक का नाम .....
12.	निविदा फार्म का मूल्य का विवरण	1. मनीरसीद नं.....दिनांक.....
		2. राशि रू. 2000/– रूपये (वाणिज्य कर सहित)
		3. जिला विपणन कार्यालय का नाम .....

13.	छ.ग. में संस्थान का आफिस एवं ब्रांच की सूची पृथक से संलग्न करें	.....
14.	वर्तमान में कितने सुरक्षा कर्मी आपके अधिनस्थ कार्यरत है।	सुरक्षा गार्ड..... गनमैन.....
15.	वर्तमान में कार्यरत सुरक्षाकर्मी/गनमेन किस–किस संस्थान में कार्यरत है की सूची संलग्न करें जिसमें संस्थान का नाम, स्थान तथा सुरक्षा गार्ड, गनमेन की संख्या दर्शित हो।	....
16.	विगत तीन वर्ष का मार्कफेड/राज्य के संस्थान/ में कार्य का अनुभव। (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)	....
17.	विपणन संघ की मांग अनुसार आपके द्वारा सुरक्षा गार्ड/ गनमेन कितने दिन में नियोजित किया जा सकता है ?	....
18.	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों	1. ..... 2. ..... 3. .....

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करतें है कि निविदा फार्म के साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही–सही है।

दिनांक .....

स्थान .....

हस्ताक्षर.....

नाम .....

पद .....

फर्म का नाम .....

सील .....

भाग – ''ख''
(वित्तीय लिफाफा हेतु)

सुरक्षागार्ड / गनमैन प्रदाय हेतु निविदा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

सरल कमांक..... **मूल्य 2000.00 रूपये**

(वाणिज्य कर सहित)

सुरक्षागार्ड / गनमैन हेतु निविदा फार्म

द्वारा :– दूरभाष :–कार्यालय.....
मेसर्स..... निवास.....
.....

प्रति,
जिला विपणन अधिकारी
छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
जिला.....(छ.ग.)

महोदय,

आपके द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 (दिनांक 01.12.2012 से 30.11.2013 की अवधि) में सुरक्षा गार्ड प्रदाय हेतु दिनांक .....को आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार संग्रहण केन्द्रों / ईकाईयों के लिये दरें प्रस्तुत की जा रही है :–

क्र.	जिले का नाम	संग्रहण केन्द्र का नाम	परिश्रमिक (कंसोलिडेटेड मासिक वेतन, भविष्य निधि, ई.एस.आई, बोनस, सर्विस टेक्स, बीमा, अन्य संवैधानिक देयताओं के साथ एवं एजेन्सी का कमीशन सहित) प्रति व्यक्ति	
			सुरक्षा गार्ड (प्रति व्यक्ति, प्रति माह, प्रति शिफ्ट)	गनमैन (प्रति व्यक्ति, प्रति माह, प्रति शिफ्ट)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.				
2.				
3.				

मेरे द्वारा उपरोक्त दरें आपकी समस्त निविदा शर्तों को मान्य करते हुए दी गई है।

उपरोक्त कॉलम नंबर 4 एवं 5 में प्रस्तुत की गई प्रतिव्यक्ति पारिश्रामिक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। कार्यरत सुरक्षाकर्मियों की समस्त जवाबदारी मेरी होगी, किसी भी प्रकार के विवाद एवं अन्य किसी भी प्रकार की देयता एवं क्षतिपूर्ति की जवाबदारी मेरी होगी ।

संलग्न :– निविदा की शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का पूरा नाम.....
व पता (आई.डी.प्रुफ सहित).....

परिशिष्ट –4

संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप

(रू. 50/– के नॉन जूडिशियल पेपर पर यह अनुबंध होगा)

आज दिनांक .....दिन.....को यह अनुबंध पत्र छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., जिला विपणन अधिकारी ..... जिला.....(छ.ग.) जिसे आगे चलकर ''विपणन संघ'' कहा जावेगा ''पक्ष कमांक–1 तथा मेसर्स .....पक्ष कमांक–2'' के मध्य किया जा रहा है :–

1. यह कि, पक्ष क. 1 द्वारा खरीफ वर्ष 2012–13 (01.12.2012 से 30.11.2013) में संग्रहण केन्द्रों में सुरक्षा कार्य हेतु पक्ष क. 2 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर दर स्वीकृत की गई है, जो संलग्न है।
2. यह कि, पक्ष क. 2 संविदा अवधि 01.12.2012 से 30.11.2013 तक सुरक्षा कार्य के लिए वचनबद्ध है, जिसे आपसी सहमति पर अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
3. यह कि, पक्ष क. 2 द्वारा संग्रहण केन्द्रों में सुरक्षा कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मियों का नाम, पिता का नाम, पता एवं फोटो सहित पक्ष क. 2 को पक्ष क. 1 के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. यह कि, पक्ष क. 2 को पक्ष क. 1 द्वारा जो भी कार्य सम्पन्न करने हेतु कहा जावेगा उसे समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पक्ष क. 1 द्वारा अन्य स्त्रोतों से कार्य कराया जावेगा, जिससे होने वाली हानि पक्ष क. 2 के देयकों से वसूल की जावेगी।
5. यह कि, पक्ष क. 2 द्वारा सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन हेतु स्वीकृत किये गये दर से माह में किये गये कार्य का माहवार देयक माह समाप्त होने के दिनांक से 3 दिवस के भीतर पक्ष क. 1 को प्रस्तुत करेगा, जिसे एक सप्ताह के भीतर परीक्षण कर पक्ष क. 1 द्वारा भुगतान किया जावेगा।
6. यह कि, पक्ष क. 2 को समय–समय पर कार्यानुसार सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन की अतिरिक्त व्यवस्था पक्ष क्र. 1 के निर्देशानुसार समयावधि में करना अनिवार्य होगा तथा उसके समस्त दायित्व की जिम्मेदारी पक्ष क. 2 की होगी।
7. यह कि, निविदा के अंतर्गत कार्य करने वाले सुरक्षागार्ड एवं गनमैन पर लागू सभी श्रम नियम, बोनस नियम, भविष्य निधि नियम एवं समय–समय पर लागू होने वाले समस्त शासकीय नियम/अधिनियम का पालन करने की जवाबदारी पक्ष क. 2 की होगी।
8. यह कि, पक्ष क. 2 के पास श्रम विभाग, सेवा कर विभाग, भविष्यनिधि, ई.एस.आई. , ई.पी.एफ. इत्यादि तथा अन्य अनुसांगिक विभागों/संस्थाओं से वैध अनुज्ञप्ति/पंजीकृत होना आवश्यक होगा। निविदाकर्ता के पास वर्कमेन कमपनशेसन पॉलिसी होना अनिवार्य होगा।
9. यह कि, पक्ष क. 2 के पास सुरक्षागार्ड/गनमैन प्रदाय के संबंध में विगत तीन वर्षो का संतोषजनक एंव सफलतापूर्वक कार्यनिष्पादन का अनुभव होना चाहिए। पक्ष क. 2 को आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. यह कि, पक्ष क्र. 2 को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र के लिए 50,000/– (पचास हजार रूपये) के हिसाब से बैक साल्वेन्सी पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11 यह कि, पक्ष क्र. 2 सुरक्षा कार्य हेतु नियोजित कर्मियों का नियमानुसार न्यूनतम पारिश्रामिक तथा अन्य वैधानिक देयता जैसेः–भविष्यनिधि, ई.एस.आई, ग्रैच्युटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सर्विस टैक्स, का भुगतान इत्यादि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।

12. यह कि, पक्ष क्र. 2 के द्वारा कार्यभारित सुरक्षा गार्डो/गनमैन के लिए विपणन संघ द्वारा जारी समस्त दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा । पक्ष क्र. 2 का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अनुबंध के कंडिकाओं का उल्लंघन होगा।

13. यह कि, पक्ष क्र. 2 विपणन संघ की संपत्ति की सुरक्षा के लिए पूर्णरूपेण जवाबदार होगा एवं विपणन संघ की संपत्ति में अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हुई क्षति की भरपाई के लिए पक्ष क्र. 2 जवाबदार होगा । पक्ष क्र. 2 द्वारा कार्यभारित सुरक्षा गार्डो एवं गनमैन के किसी भी क्रियाकलाप अथवा लापरवाही से हुई क्षति की भरपाई करने के लिए बाध्य होगा, अन्यथा पक्ष क्र. 2 की धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी एंव पक्ष क्र. 2 को विपणन संघ में कार्य न करने के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा।

14. सुरक्षागार्ड/गनमैन को कार्यावधि में साफसुथरी यूनिफार्म में ही कार्य संपादित करने होगे। सुरक्षाकर्मियों एंव गनमैन की संख्या घटाने एवं बढाने का अधिकार विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

15. यदि पक्ष क्रमांक 2 द्वारा कार्य में शिथिलता/उदासीनता/लापरवाही परिलक्षित होने पर या उनके इस कार्य से विपणन संघ को किसी प्रकार की क्षति होती है तो अनुबंध निरस्त कर अन्य योग्य व्यक्ति/संस्था को कार्य सौंपा जायेगा एंव अमानत राशि जब्त करने का अधिकार विपणन संघ को होगा।

16. सभी प्रकार के कर/डयूटी जो कि केन्द्र/राज्य सरकार व स्थानीय संस्था द्वारा समय–समय पर लगाया जावेगा उसका वहन पक्ष क्रमांक 2 के द्वारा किया जावेगा।

17. यह कि, पक्ष क्र. 2 को कार्य आरंभ करने के पूर्व कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत बीमा की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य अवधि में कार्य के दौरान किसी श्रमिक को आघात पहुंचता है या मृत्यू हो जाती है तो उससे संबंधित हर्जाना पक्ष क्र. 2 को वहन करना होगा। इसमें पक्ष क्र. 1 की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

18 यह कि, अनुबंध की अवधि का उल्लंघन यदि पक्ष क्र. 2 द्वारा की जाती है तो पक्ष क्र. 1 किसी भी समय बिना कारण बताये पक्ष क्र. 2 का अग्रेतर समय के लिए निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. मुख्यालय रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।

19. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत सुरक्षागार्ड/गनमैन की सूची में कोई भी सुरक्षागार्ड/गनमैन मिल प्रांगण अथवा मिल कार्य से संबंधित किसी भी क्षेत्र में अवांछनीय हरकतें करता है तो उसे तत्काल कार्य से वंचित कर दिया जायेगा एवं उसके लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही पक्ष क्र. 2 पर की जावेगी।

20. यह कि पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत की गई सुरक्षागार्ड/गनमैन की सूची अनुसार उपस्थिति शत्/प्रतिशत सुनिश्चित की जावेगी। यदि कोई सुरक्षागार्ड/गनमैन अनुपस्थित रहता है तो उसके बदले में अतिरिक्त सुरक्षागार्ड/गनमैन दिया जाकर आवश्यकतानुसार कार्य सम्पन्न कराया जावेगा।

21. यह कि, पक्ष क्र. 2 निविदा की अवधि में प्रचलित समस्त नियमों और कानूनों का पालन करेगा जो कि श्रम आयुक्त द्वारा प्रदत्त किया गया हो। शासन द्वारा लागू समस्त विधियों, उपविधियों, नियमों को पालन करने का उत्तरदायित्व पक्ष क्र. 2 का होगा। पक्ष क्र. 2 को दिया गया कार्य अहस्तांतरणीय है और किसी भी दशा में अन्य पक्ष को अंतरित/हस्तांतरित नहीं होगा।
22. यह कि पक्ष क्र. 2 द्वारा स्कंध की मात्रा अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या गड़बड़ी की जाती है तो यह कि पक्ष क्र. 2 के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिये विपणन संघ में कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी दो वर्षों के लिये काली सूची में डाली जावेगी। इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा।
23. पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रत्येक कार्यरत सुरक्षागार्ड/गनमैन का फोटो युक्त परिचय पत्र संग्रहण केन्द्र प्रभारी एवं जिला विपणन अधिकारी को सूची सहित प्रस्तुत करेंगा तथा जारी किए गए सुरक्षागार्ड/गनमैन के परिचय पत्र के साथ ही संग्रहण केन्द्र में प्रवेश करेगा। बिना परिचय पत्र के किसी भी सुरक्षागार्ड/गनमैन को संग्रहण केन्द्र प्रभारी/जिला विपणन अधिकारी द्वारा बिना अनुमति के प्रवेश नही दिया जावेगा।
24. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
पदनाम.....	पदनाम.....
(पक्ष क्र. 1)	(पक्ष क्र. 2)
सील.....	सील.....
साक्षी :–	**साक्षी :–**
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम व पता.....	नाम व पता.....
.....	.....

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में जिलेवार विपणन संघ के कार्यशील धान संग्रहण केन्द्रों की सूची

क्र.	जिला का नाम	भंडारण केंद्र का नाम
1	2	4
1	रायपुर (5)	धरसीवा
		तिल्दा
		लखौली (ए+बी)
		अभनपुर
		जौंदा (राजिम)
2	बालौदाबाजार (4)	अर्जुनी (बलौदाबाजार)
		कसडोल
		भांटापारा
		भटगांव
3	महासमुंद (5)	महासमुंद
		बागबहरा
		पिथौरा
		बसना
		सरायपाली
4	धमतरी (5)	चिटौद
		नगरी सिहावा
		भाटागांव (कुरूद)
		भखारा
		भोयना

5	दुर्ग (4)	जेवरा–सिरसा
		सेलुद फड़
		कौड़िया
		करंजा भिलाई
6	बालोद (3)	जगतरा फड़
		मालीघोरी
		फुण्डाभाठा
7	बेमेतरा (1)	बीजाभांटा एं+बी
8	राजनांदगांव (6)	सिंघोला
		तिलई
		मदुराकुही
		ठेलकाडीह
		बांधाबांजार
		नागरकोहरा
9	कवर्धा (1)	बाजार चारभाठा
10	बिलासपुर (6)	भरनीभाठा
		सेमरताल
		बिल्हा
		मोपका
		मस्तुरी
		पेन्ड्रारोड
11	मुंगेली (2)	गिदपुरी (मुंगेली)
		लोरमी
12	कोरबा (2)	उरगा(डोंगरीभाठा)
		कटघोरा

13	जांजगीर (6)	मिल प्रागण जांजगीर
		शा.भूमि अकलतरा
		मंडी प्रांगण चांपा
		मंडी प्रांगण सक्ति
		शा.भूमि डभरा
		बोड़ा सागर
14	रायगढ़ (4)	मेडिकल कां.ग्रा. लोहरसिंग
		बरमकेला
		मंडी प्रांगण खरसिया
		हरदी(सारंगढ)
15	जशपुर (1)	केराकछार (पत्थलगांव)
16	सरगुजा (2)	अम्बिकापुर
		सीतापुर
17	सूरजपूर (1)	सूरजपूर
18	कांकेर (3)	कांकेर
		लखनपुरी
		भानुप्रतापपुर (गोदाम)
19	जगदलपुर (1)	बिरिंगपाल (जगदलपुर)
20	कोंडागांव (1)	कोंडागांव
21	दंतेवाड़ा (1)	गीदम